न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 104 / 2023

प्रार्थी :– रतनलाल पुत्र बाबूलाल जाति खटीक, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पुखराज पुत्र देवाराम
2. बाबूलाल पुत्र देवाराम
3. मथरा पत्नी देवाराम सभी जाति हरीजन निवासीयान जसोल तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
4. कैलाशसिंह पुत्र जापाराम जाति रावणा राजपूत
5. सांवलसिंह पुत्र जापाराम जाति रावणा राजपूत निवासीयान रातानाडा, खेड तहसील पचपदरा।
6. निर्मलसिंह पुत्र श्री शोभसिंह जाति राजपूत, निवासी जसोल, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री भगवत सिंह राठौड , प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 7 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 26.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम रातानाडा, पटवार हल्का खेड, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र साजियाली पदमसिंह , तहसील पचपदरा [illegible] 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवस्थित है [illegible] कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के से[illegible] आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीग[illegible]ारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:46 IST
Reason: SelfAttested

लगातार..........

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नोटिस अन्तिम ज्ञात पते पर जारी किये गये । विप्रार्थी संख्या 1, 4 ता 7 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम रातानाडा, पटवार हल्का खेड, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र साजियाली पदमसिंह , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 901/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवस्थित आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौजा मुमकिन मौजा ग्राम रातानाडा, पटवार हल्का खेड, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र साजियाली पदमसिंह , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 901/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात [illegible] गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिपेक्ष्य मे [illegible] पाया । जिसमे पाया कि मौजा मुमकिन मौजा ग्राम रातानाडा, पटवार ह[illegible], भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र साजियाली पदमसिंह , तहसील पचपदरा मे [illegible]रा संख्या 901/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:46 IST
Reason: SelfAttested

लगातार..........

(विवेक व्यास)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रातानाडा, पटवार हल्का खेड, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह , तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 901/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आज दिनांक 26.06.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:46 IST
Reason: SelfAttested